फर्द अहकाम

हरिनारायण वगैरह बनाम नाथूराम वगैरह

...म न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

...स संख्या 273/2019

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेश वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/8/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	22/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पत्रावली में बहस हेतु प्रतिवादी अनुपस्थित होने से आज वकील वादी की मौखिक बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल फाइल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से दाखिल हो तथा बाद प्रति शामिल रिकार्ड हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

1/3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बईजलास श्री ललित मीना R.A.S.

मुकदमा नम्बर – 273/2019 दायर दिनांक 14.10.2019

1. हरिनारयण पुत्र बिरदा
2. श्रीकिशन पुत्र बिरदा
3. रूकमणी देवी पुत्री बिरदा
4. गोपी देवी पुत्री बिरदा
5. जगदीश प्रसाद पुत्र रामनिवास पौत बिरदा
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामनिवास पौत बिरदा
7. आशोक कुमार पुत्र रामनिवास पौत बिरदा
8. गदनलाल पुत्र रामनिवास पौत बिरदा
9. मातादीन पुत्र रामनिवास पौत बिरदा
10. सावित्री पुत्री रामनिवास पौत बिरदा
11. कमला देवी पत्नि रामनिवास पुत्रवधु बिरदा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नांगलबेला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. छीतर पुत्र रामधन
3. सीताराम पुत्र रामधन
4. प्रभात पुत्र बुद्धा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नांगल बेला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री किशनलाल एडवोकेटः– वादीगण
2. प्रतिवादीगण 2 ता 4 :– स्वयं उपस्थित।

(दावा बाबत घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक 22.08.2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नांगल गोगोरियान पटवार हल्का लालवास तहसील जमवारामगढ में स्थित साबिक 162 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 229, 266/229, 267/229, 268/229, कुल किता 4 कुल रकबा 1.39है0 स्थित है। वादी सं0 1 ता 4 की माता व वादी सं0 5 ता 10 की दादी व वादी सं0 11 की सास मंगली देवी पत्नि बिरदा ने खसरा नम्बर 162 मे से 1/4 हिस्सा छीतर, सीताराम पुत्रान रामधन व प्रभात पुत्र बुद्धा जाति मीना निवासी ग्राम नांगलबेला से कय की थी। उक्त भूमि का कय करने के बाद उसका नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 09.03.2005 को स्वीकार होकर तत्कालीन राजस्व जमाबन्दी व नामान्तकरण का नोट लग चुका है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 162 जिसके हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 0.18है0, खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 खसरा नम्बर 267/229 रकबा 0.34है0 खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.69है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.39है0 में से केता के पक्ष में हिस्सा 1/4 का अमल होने से शेष रह गया। उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम ही दर्ज है। जबकि उक्त भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

1/4 हिस्सा वादीगण की माता/दादी/सास मंगली पत्नि बिरदा के नाम अमल दरामद होना चाहिये था। नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 05.05.2005 के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 162 का जरिये तकासमा से छीतर पुत्र रामधन खसरा नम्बर 162/3 रकबा 14 बिस्वा, प्रभात पुत्र बुद्वा खसरा नमबर 162/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, सीताराम पुत्र रामधन खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, जयराम पुत्र हीरा खसरा नम्बर 162/4 रकबा 14 बिस्वा का विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद हो चुका है। जो कि गलत है वास्तविकता में उक्त खसरा नम्बर 162 में से 1/4 हिस्सा मंगली देवी पत्नि बिरदा ने उक्त खातेदारी से कय की थी। तथा कय करने के पश्चात मंगली देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 09.03.2005 को स्वीकार हो चुका है लेकिन उक्त खातेदारों के मध्य जो विभाजन हुआ था उसमें उक्त साबिक खसरा नम्बर 162 का विभाजन खातेदारों के ही कर दिया गया था जबकि उक्त भूमि में मंगली देवी भी भूमि कय करने के बाद से खातेदार हो चुकी थी जो कि खसरा नम्बर 162 में हिस्सा 1/4 का विभाजन वादीगण की माता/दादी/सास के हक में भी करना चाहिये था जो कि नही किया गया है। खसरा नम्बर 162 का नामान्तकरण वादीगण की माता/दादी/सास के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 235 के जरिये दिनांक 09.03.2005 को तस्दीक किया गया था जबकि उक्त भूमि का विभाजन जरिये नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 05.05.2005 को स्वीकार किया गया था जिसके बावजूद उक्त भूमि का विभाजन वादीगण की माता/दादी/सास के पक्ष में भी होना चाहिये था लेकिन सहवन से वादीगण की माता/दादी/सास को हजफ करते हुए विभाजन का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो एक प्रकार की लिपिकीय भूल है। अतः प्रश्नाधीन भूमि साबिक खसरा नम्बर 162 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम नांगल गोगोरियान पटवार हल्का लालवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में हाल रिकार्ड में छीतर पुत्र रामधन खसरा नम्बर 229 रकबा 0.18 है0, प्रभात पुत्र बुद्वा, खसरा नम्बर 268/229 रकवा 0.69है0, सीताराम पुत्र रामधन खसरा नम्बर 267/229 रकबा 0.34है0, सुरमालाल, कालूराम, छोटेलाल पुत्रान जयराम, जगन्नाथी पत्नि जयराम खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 के बजाय वादीगण खसरा नम्बर 229मि. रकबा 0.35है0 में वादी सं0 1 ता 4 का संयुक्त हिस्सा 4/20 व वादी सं0 5 ता 11 का संयुक्त हि0 1/20 तथा छीतर पुत्र रामधन खसरा नं0 229 रकबा 0.09है0, सीताराम पुत्र रामधन खसरा नम्बर 267/229 रकबा 0.2550है0, प्रभात पुत्र बुद्वा खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.5150है0, सुरमालाल, कालूराम, छोटेलाल पुत्रान जयराम, जगन्नाथी देवी पत्नि जयराम खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने जवाब दावा बाबत सहमति हेतु पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/73 दिनांक 13.02.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम नांगल गोगोरियान राजस्व जमाबन्दी संवत 2076–2079 वर्ष 2022 से स्थायी एवं मिलान क्षेत्रफल स्पष्ट है जिसमें खसरा नम्बर 229 रकबा 0.18है0 छीतर पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण, खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 कालूराम, छोटेलाल, सुरमालाल पि0 जयराम हिस्सा पूर्ण, खसरा नम्बर 267/229 रकवा 0.34है0 सीताराम पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण, खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.69है0, समस्त जाति सा0 नांगल बेला के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक नामा0 संख्या 235 दिनांक 9.3.2005 साबिक खसरा नम्बर 162 रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा छीतर पुत्र रामधन हिस्सा 1/8, सीताराम पुत्र रामधन हि0 1/4, प्रभात पुत्र बुद्वा हिस्सा 1/2 कौम मीना के बजाय मंगली बेवा बिरदा हि0 1/4 छीतर पुत्र रामधन हि0 1/16 सीताराम पुत्र रामधन हि0 3/16 प्रभात पुत्र बुद्वा हि0 3/8 स्वीकार हुआ जिसका नोट तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2076–2080 के खाता संख्या 23 में लगा हुआ है। जरिये नामा0 सं0 233 दिनांक 05.05.2005 साबिक खसरा नम्बर 162 का तकासमा से छीतर पुत्र रामधन, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 14 बिस्वा, प्रभात पुत्र बुद्धाराम खसरा नम्बर 162/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, सीताराम पुत्र रामधन खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, जयराम पुत्र हीरा खसरा नम्बर 162/4 रकबा 14 बिस्वा स्वीकार योग्य होकर तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में नोट अमल दरामद किया गया।

वकील वादीगण की बहस को सुनी गई। वकील वादी ने लिखित बहस पेश करन निवेदन किया कि वादी सं0 1–4 की माता व वादी संख्या 5–10 की दादी व वादी सं0 11 की

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

सास मंगली देवी पत्नि बिरदा (जिसकी मृत्यु दिनांक 02.08.2016 को हो चुकी है) ने साबिक खसरा नम्बर 162 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में से 1/4 भाग छीतर सीताराम पुत्रान रामधन व प्रभात पुत्र बुद्वा मीना से कय कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका नामा0 सं0 235 दिनांक 09. 03.2005 को स्वीकार होकर तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2076–80 मे नोट लग चुका था लेकिन स्थित खसरा नम्बर 162 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेंट में जो नवीन खसरा नम्बर 229, 266/229, 267/229, 268/229 कित 4 कुल रकबा 1.3900है0 कायम किया गया तो उसमें उक्त नोट अमल होने से रह गया था। जो कि प्रतिवादी सं0 2 ता 9 के नाम ही रह गया जबकि मंगली देवी पत्नि बिरदा के नाम अलम होना चाहिये था। नामा0 सं0 233 दिनांक 5.5.2005 को खातेदारों के मध्य तकासमा से प्रभात पुत्र बुद्वा के खसरा नम्बर 162/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कायम हुआ व सीताराम पुत्र रामधन के खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व छीतर पुत्र रामधन के खसरा नम्बर 162/3 रकबा 14 बिस्वा कायम हुआ व जयराम पुत्र हीरा के खसरा नम्बर 162/4 रकबा 14 बिस्वा कायम हुआ जो कि मंगली देवी पत्नि बिरदा के हिस्सा 1/4 का बंटवारा में अंकन नही होने से गलत था जिसकी घोषणा खातेदारी बाबत वाद पेश किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि ग्राम नांगल गोगोरियान पटवार हल्का लालवास तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित हाल रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी में छीतर पुत्र रामधन के नाम खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1800है0 व प्रभात पुत्र बुद्वा के नाम खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.6900है0 व सीताराम पुत्र रामधन के नाम खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.1800है0 में से वादीगण को खसरा नम्बर 229 मि. रकबा 0.3500है0 में वादी सं0 1 ता 4 को संयुक्त हिस्सा 4/20 भाग व वादी सं0 5 ता 11 का संयुक्त हिस्सा 1/20 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व प्रतिवादी छीतर पुत्र रामधन को खसरा नम्बर 229 रकबा 0.09है0 का व सीताराम पुत्र रामधन को खसरा नम्बर 267/229 रकबा 0.2550है0 का व प्रभात पुत्र बुद्वा को खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0. 5150है0 का व सुरमालाल, कालूराम, छोटेलाल पुत्र जयराम, जगनाथी देवी पत्नि जयराम को खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार डिकी किया जावें।

पत्रावली का अधोपात अवलोकन व बहस का मनन किया गया। दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नांगल गोगोरियान पटवार हल्का लालवास तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित हाल रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी में छीतर पुत्र रामधन के नाम खसरा नम्बर 229 रकबा 0.1800है0 व प्रभात पुत्र बुद्वा के नाम खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.6900है0 व सीताराम पुत्र रामधन के नाम खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.1800है0 में से वादीगण को खसरा नम्बर 229 मि. रकबा 0.3500है0 में वादी सं0 1 ता 4 को संयुक्त हिस्सा 4/20 भाग व वादी सं0 5 ता 11 का संयुक्त हिस्सा 1/20 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी छीतर पुत्र रामधन को खसरा नम्बर 229 रकबा 0.09है0 का व सीताराम पुत्र रामधन को खसरा नम्बर 267/229 रकबा 0.2550है0 का व प्रभात पुत्र बुद्वा को खसरा नम्बर 268/229 रकबा 0.5150है0 का व सुरमालाल, कालूराम, छोटेलाल पुत्र जयराम, जगनाथी देवी पत्नि जयराम को खसरा नम्बर 266/229 रकबा 0.18है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में बाद इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। डिकी पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ